संख्या–841/नौ–6–2021

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–6 **लखनऊः दिनांकः 15 मार्च , 2021**

विषयः– स्थानीय निकायों (नगर पालिका/नगर पंचायत) के अकेन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों के भुगतान के संबंध मे दिशा–निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि स्थानीय निकायों में कार्यरत् कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त उनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपादान आदि स्वीकृत किये जाने से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है। कतिपय मण्डलों एवं जनपदों से अनावश्यक रूप से इस बिन्दु पर मार्गदर्शन दिये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाते हैं कि 20 वर्ष से कम अवधि की सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपादान आदि स्वीकृत किये जा सकते हैं अथवा नहीं? ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण न होने के कारण सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा मा0 न्यायालय में रिट याचिकाएं एवं अवमाननावाद योजित किये जा रहे हैं।

(2)– सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन/उपादान स्वीकृति में हुये विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0–(ए)–11708 /2020 प्रेमवती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 19.01.2021 को आदेश पारित किया गया है, जिसके कार्यकारी अंश का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

Specific instructions will also be issued to all the offices not to withhold retrial benefits in similar cases which unnecessarily give rise to valid grievances resulting in filing of numerous writ petitions and contempt petitions.

The authorities shall also re-visit the orders passed against the subordinate staffs and fresh decision in that regard would be taken after holding enquiry in the manner as indicated above.

(3)– इस संबंध में स्पष्ट करना है कि नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में कार्यरत अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिको के सेवानिवृत्तिक देयकों यथा पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपादान आदि का भुगतान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवा निवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 एवं उसमें समय–समय पर किये गये संशोधन प्रभावी हैं।

(4)– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवा निवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 में पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं उपादान हेतु अर्हकारी सेवा एवं अन्य मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उक्त विनियमावली के भाग–दो के विनियम–4(1) में पेंशन एवं उपादान की गणना के सूत्र भी निर्धारित हैं, जिसमें पेंशन अर्हकारी सेवा 20 छमाहीं अंकित है।

(5)– सेवा निवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 में एवं उसके क्रम में जारी अकेन्द्रीयित सेवा निवृत्ति लाभ (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2006 दिनांक 13 अप्रैल 2006 के अनुलग्नक में हुए संशोधन में पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा अवधि 20 छमाहीं यथावत् है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2016 द्वारा विनियमावली 1984 के भाग–2 में अंकित पेंशन एवं उपादान की गणना विषयक विनियम–4 का संशोधन करते हुए उसके स्थान पर निम्नवत् उपनियम स्थापित किया गया है:–

4–(1)(क) अधिवर्षता, सेवानिवृत्ति, अशक्त और प्रतिकर पेंशन, पारिवारिक पेंशन या उपादान की धनराशि की संगणना, ठीक उसी सूत्र के आधार पर की जायेगी, जैसा की उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के पदधारियों पर लागू हैं और उत्तर प्रदेश (केन्द्रीयित) सेवा के लिए समय–समय पर जारी सुसंगत व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों से संबंधित संशोधन यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(6)– उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 तथा उसमें समय–समय पर हुए संशोधन विषयक विनियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 के भाग–छः के विनियम–13(3) के अनुसार मण्डलायुक्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन और या उपादान स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

अतः मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19.01.2021 के समादर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ

विनियमावली, 1984 यथा संशोधित विनियमावली, 2006 एवं 2016 में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अगर भविष्य में नगर निकायों (नगर पालिका /नगर पंचायत) से अकेन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयों के भुगतान को अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जाता है तो उसे गम्भीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश सेक्टर–7,गोमती नगर विस्तार लखनऊ।

2– समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।

3– समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

4– प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 लखनऊ/कम्प्यूटर सेंल नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश, शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को नगर विकास विभाग की बेवसाईट पर अपलोड़ कराने का कष्ट करें।

5– नगर विकास अनुभाग 1/2/3/4/5/7/8/9/सूडा ।

6– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।